झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांकः– 22,फाल्गुन,1944 (श०) / 13 मार्च, 2023 (ई०) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
110- मुद्रित	अ०सू०–03	श्री भानू प्रताप शाही,	अनुसूचित जनजाति में शामिल करना।	का०प्र०सुधार तथा राजभाषा	17-02-23
111-	अ०सू०–13	श्री राज सिन्हा,	मामले की जाँच।	गृ०का०एवं आपदा प्रबंधन	23-02-23
112- मुद्रित	अ०सू०–17	श्री लम्बोदर महतो,	अधिनियम लागू करना।	का०प्र०सुधार तथा राजभाषा	24-02-23
113-	अ०सू०–32	श्री सुदेश कुमार महतो,	नौकरी देना।	वित्त	06-03-23
114-	अ०सू०–18	श्री अनन्त कुमार ओझा,	थाना का सृजन।	गृ०का०एवं आपदा प्रबंधन	24-02-23
115-	अ०सू०–04	श्री अमित कुमार यादव,	नियोजन नीति लागू करना।	का०प्र०सुधार तथा राजभाषा	20-02-23
116- मुद्रित	अ०सू०–26	श्री दीपक बिरूवा,	परीक्षाफल घोषित करना।	का०प्र०सु० तथा राजभाषा	28-02-23
117-	अ०सू०–07	श्री बिरंची नारायण,	केन्द्रीय एजेंसी से जाँच।	गृ०का०एवं आपदा प्रबंधन	21-02-23
118-	अ०सू०–11	श्री प्रदीप यादव,	संविदा कर्मियों का स्थायीकरण।	का०प्र०सुधार तथा राजभाषा	23-02-23
119-	अ०सू०–21	श्री किशुन कुमार दास,	पेंशन की सुविधा।	का०प्र०सुधार तथा राजभाषा	24-02-23

कृ०पृ०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
120	अ0सू0-31 'क'	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	नियमावली में सुधार।	का0प्र0सुधार तथा राजभाषा	04-03-23
121-	अ0सू0-30	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	शांति व्यवस्था बहाल करना।	गृ0का0एवं आपदा प्रबंधन	04-03-23
122-	अ0सू0-31	श्री सुदेश कुमार महतो,	स्नातक के आधार पर नियुक्ति।	का0प्र0सुधार तथा राजभाषा	06-03-23
123- मुद्रित	अ0सू0-14'क'	श्री अमित कुमार मंडल,	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	का0प्र0सुधार तथा राजभाषा	23-02-23
124-	अ0सू0-15	श्री लम्बोदर महतो,	मुआवजा प्रदान करना।	गृ0का0एवं आपदा प्रबंधन	14-02-23
125-	अ0सू0-02	श्री भानू प्रताप शाही,	प्रोन्नति देना।	गृ0का0एवं आपदा प्रबंधन	17-02-23
126- मुद्रित	अ0सू0-14	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	पदस्थापित करना।	का0प्र0सुधार तथा राजभाषा	23-02-23
127-	अ0सू0-01	श्री अमर कुमार बाउरी,	रोजगार की जानकारी।	का0प्र0सुधार तथा राजभाषा	17-02-23
128-	अ0सू0-12	श्री प्रदीप यादव,	समस्या से निपटना।	वित्त	23-02-23
129-	अ0सू0-29	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	दोषियों पर कार्रवाई।	गृ0का0 एवं आपदा प्रबंधन	04-03-23
130- मुद्रित	अ0सू0-22	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	जवानों की नियुक्ति।	गृ0का0 एवं आपदा प्रबंधन	25-02-23
131-	अ0सू0-09	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	सुरक्षा का प्रबंध।	गृ0का0 एवं आपदा प्रबंधन	23-02-23
132-	अ0सू0-24	श्री दीपक बिरूवा,	मामलों का निष्पादन।	का0प्र0सुधार तथा राजभाषा	28-02-23

राँची,
दिनांक-13 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-02/2020-1101/वि0स0,राँची,दिनांकः-11/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/023
(संजय कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-02/2020-1101/वि0स0,राँची,दिनांकः-11/03/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न)को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/023
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-02/2020-1101/वि0स0,राँची,दिनांकः-11/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/023
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

अनुसूचित जनजाति में शामिल करना ।

उत्तर मुद्रित

110. श्री भानू प्रताप शाही--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत धुरकी प्रखण्ड में पनिका जाति के लोग निवास करते है, जिन्हें अभी तक राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नही किया गया है, जिसके कारण सरकारी नियोजन एवं अन्य तरह के लाभ से वंचित है;

(2) क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है एवं इनका रहन-सहन, संस्कृति रीति-रिवाज, शादी-विवाह सभी आदिवासी संस्कृति के अनुसार संपन्न होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में निवास करने वाले पनिका जाति के लोगों को राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशत: स्वीकारात्मक । उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-168, दिनांक 25 फरवरी, 2023 के अनुसार गढ़वा जिलान्तर्गत धुरकी प्रखण्ड में पनिका जाति के लोग निवास करते है । पनिका जाति राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है ।

(2) अंशत: स्वीकारात्मक । संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के क्रमांक-11 पर पनिका जाति निम्नवत अंकित है:- 11. Pankha Panika (in the district of Sonbhadra and Mirzapur)

पनिका जाति की सामाजिक/शैक्षणिक स्थिति के संबंध में उपायुक्त, गुमला, सिमडेगा तथा गढ़वा से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

(3) किसी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति में समावेशन/विलोपन के लिए भारत सरकार सक्षम प्राधिकार है ।

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अपार्टमेंट, अस्पतालों, होटलों या ऊँचे भवन के निर्माण के समय नक्शा के अनुसार अग्नि से बचाव कि व्यवस्था करना बिल्डरों का कार्य है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची सहित धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे राज्य के बड़े शहरों में पिछले तीन वर्षों (2019–20 से 2022–23) में 15 मीटर से ऊँचे भवनों या अस्पतालों, अपार्टमेंट, बैंक्वेट हॉल के निर्माण के क्रम में फायर सेफ्टी (अग्नि से बचाव) के प्रावधान के उल्लंघन के कारण दुर्घटना घट रही है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या भवन निर्माण मामलों और उनमें अग्नि से बचाव सम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित कराने तथा मामलों की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रदेश में भवन निर्माण के मामलों में अग्नि से बचाव संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करने, भविष्य में अग्निकांड होने की स्थिति में त्वरित जाँच कराने तथा ससमय एवं प्रभावी तरीके से अग्निशमन कार्य संचालित किये जाने हेतु झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक–2023 का गठन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०–07/03/2023–....1302..../ राँची, दिनांक– 12/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–251, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिनियम लागू करना ।

उत्तर मुद्रित

112. डॉ० लम्बोदर महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 14 सितम्बर, 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात 11 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड राज्य के 55 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के हितों के लिए ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022'' पारित किया गया किन्तु अबतक अधिनियम नहीं बन सका और अब तक झारखण्ड राज्य में लागू नहीं हो पाया है । जिसके कारण राज्य के 55 प्रतिशत पिछड़ी जातियों में आक्रोश व्याप्त है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के 55 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के हित में उपर्युक्त विधेयक ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022'' को अधिनियम बना कर राज्य में लागू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशत: स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022'' को दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को विधान-सभा द्वारा पारित किया गया है । तदुपरान्त अग्रेतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है ।

(2) उपर्युक्त कंडिका से स्थिति स्पष्ट है ।

---

(114)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला सहित राज्य के 24 जिलों में पुलिस थाना (Police Station) का सृजन 2011 के अपेक्षाकृत 2023 के प्रारम्भिक महीने एक नहीं होने के कारण विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;	प्रश्न स्पष्ट नही है। सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार नये थाना/ओ०पी० का सृजन किया जाता रहा है। वर्त्तमान में उपलब्ध बल से विधि–व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत पुलिस थाना को सृजन, उनके अनुपात में पुलिस बल की कमी तथा एक थाना से दूसरे थाना की क्षेत्र की दूरी के कारण पुलिस कर्मियों को विधि–व्यस्था सुदृढ़ करने में कठिनाइयाँ हो रही है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना/ओ०पी० में उपलब्ध पुलिस बल से विधि व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के 24 जिले में जिला की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मासिक बैठकों में अतिरिक्त पुलिस थाने के सृजन की मांग की जाती रही है, जिसपर आदिनांक सरकार द्वारा निर्णय नहीं ली गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में थाना/ओ०पी० सृजन हेतु समय समय पर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, जिसपर सरकार स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा कर नये थाना/ओ०पी० के सृजन की अनुशंसा की जाती है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सरकार द्वारा नियमानुसार थाना/ओ०पी० सृजन करने का निर्णय लिया जाता है। वर्त्तमान में राज्य अंतर्गत कुल 14 थाना/ओ०पी० सृजन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुशंसा की गयी है। उक्त थाना/ओ०पी० सृजन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यन्तर्गत साहेबगंज जिला सहित सभी जिले में पिछले 10 वर्ष की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस थाना का सृजन कर पुलिस कर्मियों को पदस्थापन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–06/2023–1151/ राँची, दिनांक– 12/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–421, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

115

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित

प्रश्न संख्या अ0सू0 04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में नियोजन नीति नहीं बनने के कारण विगत तीन वर्षों से सभी प्रकार के वर्ग III एवं IV के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बाधित है, जिससे आम युवा युवतियों के बीच बेरोजगारी की घोर समस्या है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों एवं तदनुसार विभिन्न पदों से संबंधित नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त संशोधित नियमावलियों का गठन करते हुए विभिन्न स्तरों के लिए लगभग 11 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किये गए। उक्त प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक के कुल 58 रिक्त पदों एवं रिम्स, राँची अन्तर्गत परिचारिका श्रेणी 'ए' के कुल 333 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) N0 3894/2021 रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न वादों में दिनांक 16.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्मिक विभागीय पत्रांक 604 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12 विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब नयी नियोजन नीति बनाकर लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के निमित्त विभागों से अधियाचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–09/2023 का0 1469 /राँची दिनांक– 11/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 69 दिनांक 20.02.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/23
सरकार के अवर सचिव।

परीक्षाफल घोषित करना ।

उत्तर मुद्रित

116. श्री दीपक बिरूवा--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या-01/2022/Apptt द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीस के कुल-22 पदों हेतु निकाले गए रिक्तियों में कोटिवार रिक्तियों से संबंधित उल्लेख नही था;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित आदर्श आरक्षण प्रावधानानुसार नियुक्तियों में कोटिवार आरक्षण देय है;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 14 फरवरी, 2023 को प्रकाशित सफल अभ्यर्थियों की सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नगण्य है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या कोटिवार परीक्षाफल घोषित करने के उपरांत साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अपर जिला न्यायाधीश एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2001 गठित है, जिसके नियम-9 से नियम 28 में भर्ती हेतु प्रावधान निरूपित किये गये है ।

उक्त के आलोक में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती से संबंधित चयन की प्रक्रिया यथा, विज्ञापन का प्रकाशन, लिखित एवं मौखिक परीक्षा का आयोजन तथा अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है ।

तत्पश्चात् झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई जाती है । राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के आचरण एवं पूर्ववृत की जांच कर नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है ।

अपर जिला न्यायाधीश एवं समकक्ष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(117)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में पिछले वर्ष–2022 में 1636 लोगों की हत्या 1515 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना तथा राजधानी राँची में इस वर्ष–1000 से अधिक वारदात सहित गुमशुदगी के कुल 8150 केश दर्ज हुए है;	झारखण्ड राज्य में बोकारो सहित वर्ष 2022 में हत्या की कुल–1686, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कुल 1378, काण्ड प्रतिवेदित हुये हैं तथा गुमशुदगी के कुल–2261 मामले में से 1430 बरामद हो चुके हैं एवं कुल 831 अप्राप्त है। राँची जिलान्तर्गत वर्ष 2022 में हत्या के 150 कांड, महिलाओं के साथ दुष्कर्म से संबंधित 190 कांड एवं गुमशुदगी के 22 मामले दर्ज हुये हैं।
2	क्या यह बात सही है कि विगत 3–4 वर्षो में कई केश मामलों में अपराधी को चिन्हित नहीं कर सही है और अपराध के कारणों का पता भी नहीं लगा सकी है तथा पिंडराजोड़ा थाना कांड सं0–161/2020, दिनांक–16.10.2020 सेजल झा मामला और हजारीबाग, सदर थाना कांड सं0–346/2018, आदि उदाहरण है;	1. पिंडराजोड़ा थाना काण्ड सं0–161/20 दिनांक–16.10.20 धारा–363/34 मा०द०वि० के वादी रामकृष्ण झा, उम्र 40 वर्ष, पिता स्व० दुर्गा प्रसाद झा, ग्राम–गिरिधरटांड, ओझाडीह, थाना–पिंडराजोड़ा, जिला– बोकारो के लिखित आवेदन पर अज्ञात व्यक्तियों पर, वादी, पुत्री सेजल झा उर्फ पाखी के अपहरण किये जाने के आरोप में काण्ड दर्ज किया गया है। इस काण्ड की अपहृता सेजल झा, उम्र करीब 14 वर्ष, पिता–रामकृष्ण झा की बरामदगी हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कांड अनुसंधानन्तर्गत है । 2. हजारीबाग, सदर थाना काण्ड सं0–346/18 दि०–15.07.2018 धारा– 302/306/120बी/34 मा0द0वि0 में अबतक के अनुसंधान, घटनास्थल के पुनः स्थापना (Re-construct),P.M. Report विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिर्पोट एवं अनुसंधान से, इस काण्ड के मृतक महावीर महेश्वरी द्वारा कारित किये जाने की बात सामने आई है। इनके द्वारा ही अपने परिवार के सदस्यों की हत्याकर खुद भी आत्महत्या करने की बात अनुसंधानोपरान्त प्रकाश में आई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विगत 2 वर्षो से पूर्व के वैसे जितने भी गंभीर प्रवृति के कांड अब तक लंबित है, और जिनका अनुसंधान अब तक झारखण्ड पुलिस पूर्ण नहीं कर सही है एवं जो ब्लाइंड केश में परिवर्तित हो गए है, उन सभी की जाँच सीबीआई और केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	पुलिस द्वारा अनुसंधान में गम्भीर प्रयास किये जा रहे है। सम्प्रति सी०बी०आई० अथवा केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से जाँच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–701/2023–....1152.../ राँची, दिनांक– 12/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–167, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(118)

माननीय स०वि०स० श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 13.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य बनने से अब तक थर्ड ग्रेड में लगभग 65 हजार से अधिक कर्मियों की बहालियाँ हुई है जबकि फोर्थ ग्रेड की नौकरियों की बहाली राज्य निर्माण के बाद अब तक शून्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि फोर्थ ग्रेड में काम करने वाले सारे लोग संविदा पर कार्यरत है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या इन संविदा कर्मियों को स्थायी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार वाद में संसूचित न्यायनिर्णय के आलोक में राज्यान्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु शर्त्त एवं प्रक्रिया का निरूपण कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' में किया गया है। उक्त नियमावली में 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट (10.04.2006) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलवाद Civil Appeal No.-7423-7429/2018 [arising out of S.L.P.(Civil) No.-19832-19838/2017] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' में निर्धारित कट–ऑफ–डेट एवं सेवा नियमितीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा में विभागीय अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019 के द्वारा संशोधन करते हुए 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना नई अधिसूचना के निर्गत की तिथि अर्थात दिनांक–20.06.2019 निर्धारित किया गया है। उक्त कार्मिक विभागीय सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में संबंधित विभागों के द्वारा अपने अधीनस्थ सेवा नियमितीकरण हेतु योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–06/2023 का०–1479/राँची, दिनांक–12/03/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–253 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2023
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

(119)

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक–18.03.74 से 21.03.77 तक की अवधि में हुए जेल में बंद मृत एवं घायल लोगों को जीवित रहने पर उन्हें या उनकी मृत्यु पर उनके आश्रित को राज्य में पेंशन दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं०–4669, दिनांक–30.07.2015 द्वारा जे०पी० आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों को निम्नरूपेण मासिक सम्मान पेंशन दिया जाता है :– i. जे०पी० आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मृत अथवा कारा में संसीमन अवधि में मृत आंदोलनकारी के पति/पत्नी को 5000/– (पाँच हजार) रूपये ii. उक्त आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी०आई०आर० में छः माह से अधिक कारा में संसीमित रहे आंदोलनकारी को 5000/– (पाँच हजार) रूपये iii. उक्त आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी०आई०आर० में एक माह से छः माह तक कारा में संसीमित रहे आंदोलनकारी को 2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये iv. उक्त आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में गोली से घायल आंदोलनकारी को 2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये उपर्युक्त से स्पष्ट है कि चिन्हित जे०पी० आंदोलनकारी के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को पेंशन की सुविधा देय नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा जिन पेंशन धारियों को 5,000 रुपये मिलता था उन्हें 7,500 रुपये एवं जिन्हें 10,000 रुपये मिलता था उन्हें बढ़ाकर 15,000 रुपये दिया जा रहा है;	संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार सरकार के तर्ज पर झारखण्ड में रह रहे जेपी० आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित को पेंशन सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–705/2023–1061/ राँची, दिनांक–04/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–427, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(120)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–31 ''क'' का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में जाति प्रमाण का समय सीमा तीन साल निर्धारित किया गया है जिसके कारण नौकरी या अन्य कारणों से यहाँ के युवाओं को बार बार जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है वस्तुतः कभी–कभी निर्धारित समय में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है जिसके कारण युवकों को परीक्षा एवं साक्षात्कार से बंचित रहना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 तथा अनुषंगी परिपत्रों द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत अनुदेश निर्गत है। परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका–8 के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी। अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) हेतु झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के प्रयोजनार्थ प्रपत्र–11 में क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जिसकी वैधता निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य है। उक्त प्रपत्र की कंडिका–4 में अंकित है कि "किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।"
2	क्या यह बात सही है कि परिवार के मुखिया के जाति प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उनके बारिस (पुत्र, पुत्री) का जाति नहीं बदलता है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका–11 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत किए जाने का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय द्वारा बार–बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर युवकों से आर्थिक दोहन किया जाता है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाति प्रमाण पत्र बार–बार बनाने से होने वाली परेशानियों के सामाधान हेतु नियमावाली में सुधार करना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों।	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–14 / 2023 का0– 1386 / रांची, दिनांक 06·03·2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–972, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखण्ड पाँकी के, पाँकी बाजार में दिनांक–15.02.2023 को सांप्रदायिक हिंसा में विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा वैसे लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो वहाँ उपस्थित नहीं थे। महिलाओं को बिना महिला पुलिस के घरों में जाकर जाँच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। प्रखण्ड पांकी के पांकी बाजार में दिनांक 15.02.2023 को शिवरात्रि पूजा कमिटी के लोगों के द्वारा मस्जिद चौक स्थित मुख्य सड़क पर तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुई साम्प्रदायिक हिंसा की पूरे घटना क्रम के संबंध में अंचलाधिकारी, पांकी के आवेदन पर पांकी थाना कांड सं0 16/2023, दि0–16.02.2023 113 चिन्हित् नामजद एवं 900 अज्ञात तथा पांकी थाना कांड सं0 17/2023 दि0–16.02.2023 नामजद एवं करीब 2000 अज्ञात के विरूद्ध दो अलग–अलग प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उक्त दोनों कांडों का अनुसंधान निष्पक्ष एवं पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत की जा रही है। अनुसंधान एव छापामारी के दौरान किसी भी महिला को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि घटना के लिए मुख्यरूप से उत्तरदायी विशेष समुदाय के चुड़िहार लोगों को प्रशासन द्वारा आजतक गिरफ्तार नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। दोनों कांडों के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान के क्रम में बिना सामुदायिक भेदभाव के साक्ष्यानुसार कांड सं0–16/2023 के प्राथमिकी अभियुक्त 1. शाहिद अंसारी 2. मो0 मोबिन अंसारी 3 महबूब आलम 4 रजिउल हक 5. सज्जाद आलम 6. नेहाल अंसारी 7. दीपक कुमार 8. इलताफ अंसारी 9 एकरामुल अंसारी 10 हसन अंसारी एवं 11 राजकुमार तथा कांड सं0 17/2023 मे अभियुक्त 1 मदन राम 2. सुमित कुमार सिन्हा 3. रितेश कुमार 4. करण कुमार सिंह 5 धनंजय कुमार 6. रौशन कुमार 7. दीपक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दोनों कांड का अनुसंधान जारी है। कांड में शेष नामित अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य के उपलब्धता के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त घटना की जाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करके दोषियों को सजा दिलाने तथा निर्देषों को दोषमुक्त करने तथा शांति व्यवस्था बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पलामू पुलिस कांड का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण निष्पक्ष तरीके से कर रही है। सम्प्रति पांकी में स्थिति शांतिपूर्ण है तथा निषेधाज्ञा हटा ली गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–15/2023–1298/2023 राँची, दिनांक– 12/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–961, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।

उत्तर मुद्रित

123. श्री अमित कुमार मंडल--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति को विधि विभाग के विधिक परामर्श के बाद संवैधानिक करार करते हुऐ सरकार को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि गलत परामर्श देने की वजह से राज्यपाल महोदय द्वारा विधेयक को वापस सरकार को भेज दिया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थानीय नीति नहीं लागू होने के कारण 1932 खतियानधारी को किसी भी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गलत परामर्श देने वाले पदाधिकारियों को चिहिन्त कर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि ''झारखण्ड के स्थानीय निवासी'' की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखण्ड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त की गयी थी ।

(2) झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखण्ड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 से संबंधित संचिका कतिपय पृच्छाओं के साथ विभाग में प्राप्त हुई है, जिस पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(3) अस्वीकारात्मक । संकल्प सं०-9567, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 द्वारा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में "अन्य सभी मामलों में समानता (All things being equal) होने पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है ।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है ।

---

(124)

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–15 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने वज्रपात/सर्पदंश/नदी/डोभा में डूब जाने पर मृतक के आश्रितों को प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर आश्रितों को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है किन्तु तालाब एवं कुँआ में डूबने पर मृतक के आश्रितों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–969 दिनांक–25.10.2018 द्वारा घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदाओं में से "नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने" के स्थान पर "पानी में डूबने" की घटना को विभागीय संकल्प संख्या–186 दिनांक–06.03.2023 द्वारा संकल्प निर्गत की तिथि से विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। इस आलोक में गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के निमित्त निर्गत मद एवं मापदण्ड के अनुसार प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार शीघ्र ही उक्त आपदाओं के तर्ज पर तालाब एवं कुँआ से मृत्यु पर मृतक के आश्रितों को चार लाख राशि मुआवजा देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(अ०सू०)–04/2023– 190 **/आ०प्र०, राँची, दिनांक–** 09.03.2023

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–422/वि०स०, दिनांक–24.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2023
(सुनील कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वीरता राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के पारी से बाहर प्रोन्नति का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि विगत कई वर्षों से राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक से अलंकृत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रोन्नति नहीं दी जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पारी से बाहर प्रोन्नति अंतिम बार वर्ष 2019 में प्रदान की गयी है। तत्पश्चात् राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक होने के कारण प्रोन्नति प्रदान नहीं किया जा सका। प्रोन्नति पर जारी रोक के हटने के पश्चात पारी से बाहर प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके तहत पारी से बाहर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु गठित समिति के स्वरूप में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार राष्ट्रपति पुलिस पदक या अन्य पुलिस पदक से अलंकृत पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पारी से बाहर जाकर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०–1463, दिनांक–04.02.1989 में प्रोन्नति हेतु गठित समिति के स्वरूप में संशोधन के पश्चात् पारी से बाहर प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–01/2023–1057/ राँची, दिनांक–04/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–42, दिनांक–17.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

पदस्थापित करना ।

उत्तर मुद्रित

126. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को आई०ए०एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गयी है, उनमें से 41 अधिकारी ऐसे है जिन्हें अपने से कनीय (जूनियर) अधिकारियों के अधीनस्थ कार्य करना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के तृतीय एवं चतुर्थ बैच के अधिकारियों को प्रोन्नति के बाद प्रोन्नत पद पर पदस्थापित नहीं किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रोन्नत अधिकारियों को उच्च पद पर अविलम्ब पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) आंशिक स्वीकारात्मक । झारखण्ड प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के उपरान्त सभी पदाधिकारियों को उनके पूर्व के पदस्थापन स्थान पर ही भारतीय प्रशानिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया जिनमें से मात्र 08 पदाधिकारी ऐसे है जो अपने से कनीय पदाधिकारी के अधीनस्थ पदस्थापित है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । प्रोन्नति के उपरान्त सभी प्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके द्वारा धारित पद को उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया गया है ।

(3)(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर विचार करने हेतु सिविल सर्विसेज बोर्ड गठित है कंडिका-1 में वर्णित 08 पदाधिकारियों के मामले पर विचार करने हेतु सिविल सर्विसेज बोर्ड के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा ।

(2) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 286 पद रिक्त है ।

आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०12 का उत्तर ।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जनवरी, 2023 तक बजट राशि का मात्र 50% ही खर्च हो पाया है (दैनिक भास्कर दिनांक 01.12.2022) ?	अस्वीकारात्मक। जनवरी, 2023 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मासिक प्रतिवेदन के अनुसार बजट राशि का व्यय का प्रतिशत लगभग 60% (59.90%) है।
2.	क्या यह बात सही है कि राशि खर्च नहीं होने के मूल कारणों में से एक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराना है, इस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना 2022–23 एवं नगर विकास की कई योजनाएँ लंबित है ?	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)– वित्तीय वर्ष 2022–23 में SBM(U) हेतु केन्द्रांश मद में कुल 82.68 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट उपबंध प्राप्त है। वर्तमान में भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि अप्राप्त है, परंतु मार्च 2023 में उक्त समस्त राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। केन्द्रांश मद में राशि अप्राप्त रहने की स्थिति में भी इस योजना हेतु पूर्व से प्राप्त राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। अमृत योजना– केन्द्रांश मद की 95.43% राशि का व्यय किया जा चुका है एवं राज्यांश मद से 67% राशि का व्यय किया जा चुका है। शेष राशि का व्यय 31 मार्च 2023 के पूर्व कर लिया जायेगा। योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारु रुप से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु योजना राशि की किस्त, आवास की भौतिक प्रगति के आधार पर प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य के निकायों अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण–कार्य हेतु राशि, माह फरवरी 2023 में विमुक्त किया है, जो निकासी हेतु प्रक्रियाधीन है।

		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)– इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण बजटीय उपबंध के अनुरुप व्यय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलावा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से वार्ता कर झारखण्ड राज्य के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कौन–सा उपाय ढूंढ़ रही है, नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–03 / 2023 / 175 राँची, दिनांक : 10.03.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञांप सं० प्र०–254 / वि०स०, दिनांक– 23.02.2023 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2023
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(129)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–24.02.2023 को रात्रि में राँची के मेन रोड में कार एवं स्कूटी के टक्कर में स्कूटी चालक मो0 शमशाद की घटना स्थल पर ही दुःखद मौत हो गई थी और कार चालक शिवांश घायल हो गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–24.02.2023 की रात्रि में राँची के मेन रोड में वुल हाउस चौक के पास कार एवं स्कूटी में टक्कर हुई थी। इस दुर्घटना में स्कूटी चालक मो० शमशाद एवं उनके दो बच्चे तथा कार चालक शिवांश घायल हो गए थे। ईलाज के क्रम में स्कूटी चालक मो0 शमशाद की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में वादी मो० समीर, पे० स्व० साबीर, सा० कर्बला चौक, थाना लोअर बाजार, जिला–राँची के आवेदन के आधार पर लोअर बाजार थाना कांड स०–77/23, दिनांक– 25.02.23 क्रेटा कार सं0–JH01DQ–4744 के चालक कुमार शिवांश के विरूद्ध दर्ज किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार के चालक कुमार शिवांश की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक शिवांश के पिता दिनेश प्रसाद, पे० स्व० बालकृष्ण साहू, पता–गणपति बिहार, दिव्यायन तालाब के पास, मोरहाबादी, थाना बरियातु, जिला राँची के आवेदन के आधार पर लोअर बाजार थाना यू0डी0 काण्ड सं0–07/23, दि०–27.02.23 दर्ज किया गया है। दोनों कांड अनुसंधान अन्तर्गत हैं ।
2	क्या यह बात सही है कि इस दुर्घटना में घायल कार चालक शिवांश को घटना स्थल पर लोगों ने पत्थर, लाठी, डंडे आदि से बुरी तरह से पीटा जिससे कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी;	अबतक के जाँच में उपरोक्त बातों की पुष्टि नहीं हुई है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त घटना की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए घटना स्थल के पास लगे 12 सी0सी0टी0वी0 कैमरे का फुटेज पुलिस के पास नहीं है, जबकि अखबारों में लाठी डंडे से लैस कुछ लोगों की तस्वीरों भी छपी है और इन घटना का वायरल विडीयों देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस मामले को दबा रही है;	घटनास्थल के आसपास लगे सी०सी०टी०वी० का फुटेज प्राप्त किया गया है। फुटेज के अवलोकन से उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिनांक–24.02.2023 को रात्रि में मेन रोड में हुई दुर्घटना की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–14/2022–1297/ राँची, दिनांक– 12/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–960, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

जवानों की नियुक्ति ।

उत्तर मुद्रित

130. श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह---क्या मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (N.D.R.F.) के तर्ज पर झारखण्ड में राज्य आपदा मोचन बल (S.D.R.F) के गठन हेतु वर्ष-2016 में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि S.D.R.F का गठन प्रक्रिया वर्षों से लंबित होने के कारण हमें जिलों में असमायिक घटित घटनाओं के नियंत्रण हेतु N.D.R.F. पर निर्भर रहना पड़ता है तथा ससमय समुचित राहत सुविधा नही मिलने से जान-माल का नुकसान होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आपताकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में शीघ्र S.D.R.F का गठन कर जवानों की स्थाई नियुक्ति का का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) विभागीय संकल्प संख्या-937, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 द्वारा झारखण्ड राज्य में समेकित आपदा प्रबंधन हेतु राज्य आपदा मोचन बल का गठन कर 132 पदों का सृजन किया गया, जिसमें संविदा के आधार पर अधिकारियों एवं जवानों की सेवाएँ प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

विभागीय संकल्प संख्या-411, दिनांक 12 जून, 2019 के निर्णय के आलोक में झारखण्ड सशस्त्र बल से 66 कर्मियों की सेवाएँ SDRF में ली गई है तथा शेष 66 कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति विचाराधीन है ।

(131)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आए दिन बैंक खाताधारक साईबर अपराध के शिकार हो रहें हैं तथा उसके बैंक खाते से अपराधियों द्वारा पैसे की निकासी कर ली जा रही है ;	स्वीकारात्मक बैंक खाताधारक के साइबर अपराध के शिकार होने एवं उनके बैंक खाते से अपराधियों द्वारा पैसे की निकासी करने की घटनायें समय–समय पर प्रतिवेदित होती है। साईबर अपराधियों द्वारा जिन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उसमें प्रायः खाताधारक द्वारा अपने बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी जैसे ATM Card Number, PIN, CVV No., OTP अथवा Login id एवं Password इत्यादि साईबर अपराधकर्मियों से अज्ञानतावश साझा कर दिया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा के दर्जनों बैंक खाताधारकों के खाते से पैसे निकासी कर ली गई है, तथा कुछ खाता धारकों को तो पैसे की वापस की गई है, परंतु अधिकतर खाताधारको का पैसा अभी तक वापस नहीं किया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई बैंक खाताधारकों के खाते से AEPS (Aadhar Enable Payment System) के माध्यम से रूपये की निकासी हुई है। जिसमें से अधिकांश खाताधारकों का पैसा बैंक द्वारा वापस कराया गया है। मात्र कुछ खाताधारकों का पैसा बैंक द्वारा अभी तक वापस नहीं करवाया जा सका है। इस संबंध में जमशेदपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साईबर अपराध से आम जनों को निजात दिलाने हेतु सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आमजनों को पुलिस एवं अन्य एजेन्सी जैसे–बैंक आदि द्वारा समय–समय पर जागरूकता अभियान चलाकर साईबर अपराध से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स० (10)–01/2023–1290/ राँची, दिनांक– 12/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–223, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(132)

श्री दीपक विरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में विभिन्न प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन और सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत तय समय–सीमा के भीतर सम्पादित किये जाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के तहत अंचल/प्रखण्ड कार्यालयों में कार्यों का निष्पादन नहीं होने से कोल्हान प्रमण्डल में कुल 6.45 लाख से ज्यादा मामले लम्बित हैं;	अस्वीकारात्मक प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 287 दिनांक 06.03.2023 के साथ संलग्न उपायुक्त –सह–जिला दण्डाधिकारी, सरायकेला–खरसावॉ, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित समयावधि के पश्चात लंबित विभिन्न प्रमाण पत्रों की संख्या शून्य है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेवा की गारंटी अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानानुसार वर्णित अवधि के भीतर ही राज्य के सभी मामलों को निष्पादित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों के निर्गत करने हेतु समय सीमा निर्धारित है। साथ ही, समय सीमा के अन्दर प्रमाण पत्र निर्गत नही होने की स्थिति में अधिनियम की धारा–6 में अपील एवं धारा–7 में दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 16/वि0स0प्र0–08–02/2023 का0 1422 / राँची दिनांक 10/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–691 वि0स0, दिनांक– 28.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11/नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/03/2023

(आसिफ हसन)

सरकार के उप सचिव।